

“मिशन शक्ति 5.0 : जनपद महोबा में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सतत प्रयास”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 20.12.2025 को जनपद महोबा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं समुदायों में चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं के त्वरित एवं विधिक निस्तारण हेतु जागरूक किया गया। मिशन शक्ति के उद्देश्यों—महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन—को जन-जन तक पहुँचाने के लिए टीमों द्वारा सतत प्रयास किए गए।

थानों की एंटी-रोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीमों ने बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद के थानों में संचालित मिशन शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा महिला सुरक्षा कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों महिला हेल्पलाइन : 1090, आपातकालीन सेवा : 112, चिकित्सा सहायता : 108, बाल सहायता नंबर : 1098, साइबर हेल्पलाइन : 1930, साइबर शिकायत : cybercrime.gov.in की जानकारी भी दी गई।

इन सेवाओं के उपयोग हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि पुलिस हर समय उनके साथ है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के माध्यम से महोबा पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करना है।



सुरक्षित सड़क यात्रा हेतु यातायात महोबा पुलिस द्वारा ठंड और कोहरे के मद्देनजर जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के दिशा-निर्देशन में और प्रभारी यातायात महोबा, श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक- 20.12.2025 को यातायात पुलिस टीम ने ठंड के मौसम में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

इस अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस टीम ने रोडवेज बस स्टैंड एवं टैक्सी बस स्टैंड पर पहुंचकर सभी वाहन चालकों और परिचालकों को एकत्रित किया। इस दौरान उन्हें कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति में वाहन संचालन के सुरक्षित तरीके, सड़क पर सावधानी बरतने के उपाय, और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

साथ ही, यात्रियों और वाहन चालकों को सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए गए, जिनमें कोहरे के दौरान वाहन संचालन, गति नियंत्रित करने और वाहन की रोशनी का सही उपयोग करने के उपाय शामिल हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यातायात प्रभारी ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि सभी वाहन चालक और यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। उन्होंने सभी से अपील की कि वे सुरक्षित ड्राइविंग का पालन करें और मार्गदर्शन को गंभीरता से अपनाएं।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में iGOT कर्मयोगी प्रशिक्षण सत्र का सफल आयोजन, पुलिसकर्मियों को डिजिटल दक्षता एवं कौशल विकास में प्राप्त हुई महत्वपूर्ण जानकारी...

आज दिनांक 20.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय, श्री तेज प्रताप सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन प्रांगण में iGOT कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) हेतु 01 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से जनपद महोबा में नियुक्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल की विशेषताओं, इसके महत्व तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

iGOT कर्मयोगी भारत सरकार का एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों को उनकी दक्षता और कौशल बढ़ाने में मदद करता है। यह 'मिशन कर्मयोगी' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वेबिनार और सीखने के अवसरों के माध्यम से कहीं भी और कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार करना, शासन में सुधार लाना और 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य की दिशा में योगदान देना है।

प्रशिक्षण सत्र में जनपदीय पुलिस के विभिन्न थानों और शाखाओं में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षी भी उपस्थित रहे।



MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

चोरी के 03 मामलों एवं अवैध शस्त्र बरामदगी में संलिप्त 02 अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा कुल ₹9,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “**Operation Conviction**” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सी.जे./जे.डी कोर्ट महोबा द्वारा चोरी के कुल 03 अभियोगों में 02 नफर आरोपी अभियुक्तों को परीक्षणोपरांत जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व कुल 9000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत अभियोग क्रमशः 1. मु०अ०सं० 445/2006 व 2. मु०अ०स० 136/2006 धारा 457/380/411 भादवि 3. मु०अ०स० 616/2006 धारा 401 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त 1. उमेश पुत्र रामदयाल कुशवाहा 2. कैलाश पुत्र हरदयाल कुशवाहा निवासी गांधी नगर थाना कोतवाली नगर महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व कुल 8000/- हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त कैलाश को मु०अ०स० 617/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रुपये से दण्डित किया गया।



महोबा पुलिस